विश्वभारती

अधिसूचना

उपाचार्य महोदय के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कहने का निर्देश हुआ है कि यूजीसी विनियमन-2018 के अनुसार एक अकादमिक वर्ष में पूर्णकालिक सेवायोजन में शिक्षकों का कार्यभार तीस कार्य सप्ताह (एक सौ अस्सी शिक्षण दिवस) हेतु एक सप्ताह में चालीस घंटा से कम नहीं होना चाहिए। शिक्षक सामुदायिक विकास/पाठ्येतर गतिविधियाँ/पुस्तकालय परामर्श/अनुसंधान हेतु छात्र (प्रत्येक संयोजक पर पंद्रह छात्र) हित में कम से कम रोजाना दो घंटा तक समय उन छात्रों को देंगे जो स्नातक कर रहे हैं। अथवा स्नातकोत्तर मामले में अनुसंधान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए आवश्यक स्थान एवं आधारिक संरचना प्रदान किए जाएंगे। शिक्षण अधिगम कार्यभार का विवरण निम्नलिखित है :

सहायक प्रोफेसर – 16 घंटा प्रत्येक सप्ताह

सह प्रोफेसर/ प्रोफेसर – 14 घंटा प्रत्येक सप्ताह

प्रोफेसर/सह प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर शिक्षण एवं अधिगम समय से प्रत्येक सप्ताह में दो घंटा प्रशासनिक/विस्तार कार्य में समय देंगे।

विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर/सह प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर को सलाह दिए जाते हैं कि यूजीसी विनियमन-2018 से संबंधित ड्यूटी एवं कार्यभार समय का पालन करें।

हस्ता/-

संदर्भ सं. आरईजी/अधि./156/193

दिनांक: 21/10/2022

कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित:-

1. सभी निदेशक/भवन/विभाग के अध्यक्ष
2. सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक विभाग/केंद्र/अनुभाग/इकाई के प्रधान
3. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
4. विश्वविद्यालय वेब मास्टर - विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड हेतु।
5. हिंदी अधिकारी – अधिसूचना का हिंदी अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।